...लान के समक्ष पेश किया है जो काबिल खारिजी है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र पेश ... अर्ज है। कि प्रार्थनापत्र प्रतिवादीगण मय खर्चा खारिज किया जावे ।

योग्य अभिभाषकगणो की बहस सुनी गयी ।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया व योग्य अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया । मनन करने पर पाया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा जो तीन दस्तावेजात दावा में प्रस्तुत करने हेतु पेश किये हैं उनमें से दस्तावेजात स0 1 व 2 प्रमाणित प्रस्तुत किये है तथा दस्तावेजात स0 3 फोटो काफी पेश की है। अतः प्रतिवादीगण की ओर जो प्रमाणित दस्तावेजात पेश किये हैं को स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थनापत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी दस्तावेजात स0 1 व 2 तक स्वीकार किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11.1.2024

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर

[illegible]ा 93/12

उनवान कप्तान बगै0 बनाम पतरे बगै0

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश8 निसम 1 सीपीसी

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र सिह यादव आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी रूपवास

उपस्थित

1–श्री डूगरसहाय शर्मा अभिभाषक प्रार्थी / प्रतिवादीगण

2– श्री सन्तोष शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी / वादीगण

दिनांक 11/07/14

निर्णय

सक्षेपतः प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रतिवादीगण के अभिभाषक की ओर से प्रार्थनापत्र आदेश 8 नियम 1 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा कुछ दस्तावेजात जबाब के साथ पेश करने के लिये प्राप्त नहीं हो सके थे लेकिन उन दस्तावेजो में वर्णित बाते अपने जबाब दावे में उल्लेखित की थी उन्ही दस्तावेजो के आधार पर ही प्रतिवादी के हक में खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। तथा प्रतिवादी के हक में सह बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जो कि न्याय निर्णय के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उनको प्रतिवादीगणो द्वारा पेश किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । जो दस्तावेजात पेश किये है वे निम्न प्रकार है।

1– नामान्तरकरण पंजिका ग्राम माड़ापुरा स0 30 दिनांक 10–6–71

2– नकल जमाबन्दी सम्वत 2067–70

3– बन्दोवस्ती किसान पर्चा नोटिस

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि दस्तावेज पेश किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे ।

प्रार्थनापत्र की नकल वादी अभिभाषक को दिलाई गई । वादीगण अभिभाषक द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब पेश कर दिवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र प्रतिवादी गलत है। व काबिल खारिजी है। क्योकि अब कोई भी दस्तावेजात रिकार्ड पर नही लिया जा सकता है। अपने विशेष विवरण में निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में तन्कीयात कायम की जा चुकी है। तनीं कायम करने के उपरान्त अब किसी पक्ष का कोई भी दस्तावेज रिकार्ड पर नही लिया जा सकता है। अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थनापत्र प्रकरण को देरीना करने की गरज से पेश किया है जो काविल खरिजी है।

उक्त प्रकरण की तारीख पेशी 4–9–13 नियत थी उक्त तारीख पेशी के दिन प्रार्थीगण ने अपनी साक्ष्य में 3 गवाहो के शपथपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किये थे उक्त गवाहों को जानबूझकर लौटाने की गरज से यह प्रार्थनापत्र न्यायालय

11/07/14

उपखण्ड अधिकारी